

भारत सरकार(Government of India)

रेल मंत्रालय(Ministry of Railways)


रेलवे बोर्ड (Railway Board)

परिपत्र

विषय : देश में कोविड-19 की रोकथाम के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा

किए जाने वाले उपायों पर समेकित संशोधित दिशा-निर्देश।

उपर्युक्त विषय पर गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 01.05.2020 के आदेश सं 40-3/2020-डीएम-1(ए) की एक प्रति सूचना एवं कड़ाई से अनुपालन हेतु संलग्न है।



(मनोज कुमार)

निदेशक (जी ए)

रेलवे बोर्ड।

सं 2020/जी(एक)/मेंट./मिस./कोविड-19

नई दिल्ली, दिनांक 02.05.2020

रेल भवन, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, दयाबस्ती और राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, नई दिल्ली में बोर्ड कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचनार्थ ।

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली ।
2. उपाध्यक्ष, आर एल डी ए, नई दिल्ली।